न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर
<u>बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.</u>

राजस्व वाद सं. 38/2020 निर्णय दिनांक 08.04.2021

1. विभोर कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी लोहिया हाऊस – 10 राजन एनक्लेव कांट रोड के पास मुरादाबाद (यू.पी.) जरिये मु0 आम श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।
2. नेहा लोहिया पत्नि आयूष लोहिया जाति गुप्ता निवासी – 1 एबोक डी. एल. एफ. फार्म छतरपुर नई दिल्ली जरिये मु0 आम श्री राम अग्रवाल पुत्र बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती तहसील व जिला बीकानेर।

.... **वादीगण**

बनाम

1. श्री वीरेन्द्र कुमार }
2. श्री राकेश कुमार } पिसरान बारसीदास कौम अग्रवाल साकिन जगराओ जिला लुधियाना
3. श्री रमेश कुमार }
4. श्रीमति जनकदुलारी पत्नि स्व. श्री प्रेमनाथ
5. श्री सुरेश कुमार }
6. श्री चन्द्रमोहन } पिसरान प्रेमनाथ कौम अग्रवाल साकिन जगराओं जिला लुधियाना
7. स्नेहलता }
8. श्री गजानन्द पुत्र मदनलाल जाति शर्मा (ब्राहमण) निवासी मोहल्ला रामनगर जगराओं तहसील व जिल लुधियाना
9. जीवन गोयल }
10. अकुश गोयल } पिसरान अरूण कुमार जाति गायेल निवासी जगराओ तहसील व जिला लुधियाना
11. महक गोयल }
12. विशाखा गोयल पत्नि अरूण कुमार
13. राजस्थान सरकार

.... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण अभिभाषक वादीगण।
2. राज्य की और से पैरोकार राज
3. प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही है।

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 08.04.2021

1. प्रस्तुत वाद दिनांक 31.12.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।
2. प्रकरण में विनिश्चय हेतु संक्षेप में आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार के है कि वादीगण की और से अपने मुख्तयार श्रीराम अग्रवाल एक वाद प्रतिवादीगण के

Scanned with CamScanner

विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खाता तरसीम प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि आराजी खसरा संख्या 353 जिसका क्षेत्रफल 24.2700 हैक्टर है, जो ग्राम रोही डेह तहसील कोलायत मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि सम्वत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी ग्राम डेह की खतौनी सं. 250 के अन्तर्गत वादीगण एव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 के शामिलात खाते मे दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सों के मुताबिक काबिज होकर काश्त मे चले आ रहे है। चुकि शामिलात खाते के कारण काश्त करने एवं जमीन के विकास करने सम्बन्धित कई प्रकार की कठिनाईयों उत्पन्न हो जाती है तथा पक्षकारान के मध्य आपस मे मन मुटाव बना रहता है। वादीगण अपने हिस्से आयी भूमि का बटवारा कराना चाहते है। जिसके लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया लेकिन विभाजन करने से स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादीगण को यह वाद न्यायालय में दायर करना पड़ा। अपनी हिस्से की भूमि को विभाजित कर अलग–अलग खातों में अपना नाम अंकिन करवाने हेतु डिग्री जारी करने हेतू निवेदन किया।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकियात दिलाये जाने हेतु दिनांक 15.01.2021 को स्पीड पोस्ट से सम्मन भिजवाये गये। लेकिन 30 दिवस की कानूनी अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न तो असालतन व न वकानतन हाजिर हुवे जिसके परिणाम स्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही इकतरफा अमल मे ली गयी। वादीगण ने वाद पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया जिसमें वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 की जमीनों को दर्शाया गया है। तथा इसी मुताबिक विभाजन करने को निवेदन किया।

4. वादीगण के योग्य अभिभाषक एवं राज्य की और से उपस्थित पैरोकाराज को विभाजन की डिग्री पर सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सम्वत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी ग्राम डेह तहसील कोलायत की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में उपलब्ध है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 संयुक्त सह खातेदार के रूप में अंकित है। धारा 53 काश्तकारी अधिनियम में यह उपबन्ध है कि एक रिकार्डेड सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकार है। इन कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन की डिग्री वादीगण कि हक मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के खिलाफ निम्न प्रकार जारी की जाती है कि :–

1. विभोर कुमार पुत्र श्री नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी लोहिया हाऊस – 10 राजन एनक्लेव कांट रोड के पास मुरादाबाद (यू.पी.) वादी संख्या 1 सम्वत् 2072 लगायत 2075 ग्राम डेह की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 353 तादादी 24.2770 हैक्टर में वादी 1/5 हिस्सा का सहय खातेदार अंकित है जो उसे मुताबिक काब्जाकाश्त बंटवारे में दिया जाना मंजुर किया जाता है।

2. नेहा लोहिया पत्नि आयूष लोहिया जाति गुप्ता निवासी – 1 एबोक डी. एल. एफ. फार्म छतरपुर नई दिल्ली वादिनी संख्या 2 ग्राम डेह की उसी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 353 तादादी 27.2700 हैक्टर में वादिनी सं. 2 का 3/10 हिस्सा सह खातेदारी में दर्ज है जो उसे काश्त के मुताबिक विभाजन में दिया जाना मंजुर किया जाता है।

3. 1. वीरेन्द्र कुमार 2. राकेश कुमार 3. रमेश कुमार पुत्रगण श्री बनारसीदास जाति अग्रवाल साकिन जगराओं तहसील व जिला लुधियाना प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

4

ग्राम डेह की उसी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 353 तादादी 24.2700 हैक्टर के 1/4 हिस्सा के सह खातेदार अंकित है।

4. श्रीमति जनक दुलारी पत्नी स्व. प्रेमनाथ, सुरेश कुमार, चन्द्र मोहन, स्नेहलता पुत्रगण पुत्रीगण स्व. प्रेमनाथ जाति अग्रवाल निवासी जगराओं तहसील व जिला लुधियाना प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ग्राम डेह की इसी जमाबन्दी में उक्त प्रतिवादीगण 1/4 हिस्से सह खातेदार अंकित है। प्रतिवादी संख्या 4 जनक दुलारी का अलग से 0.24 हैक्टर हिस्सा दर्ज है।
5. गजानन्द पुत्र श्री मदन लाल जाति शर्मा (ब्राहमण) निवासी मोहल्ला रामनगर जगराओं तहसील व जिला लुधियाना प्रतिवादी संख्या 8 ग्राम डेह की इसी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 353 तादादी 24.2700 हैक्टर में से उक्त प्रतिवादी का क्रमशः 0.20 हैक्टर व 0.05 हैक्टर कुल 0.25 हैक्टर सह खातेदारी दर्ज है।
6. जीवन गोयल पत्नि स्व. अरूण कुमार, अकुश गोयल, महक गोयल, विशाखा गोयल पुत्रगण पुत्रीगण स्व. अरूण कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी जगराओं तहसील व जिला लुधियाना प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 ग्राम डेह की इसी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 353 तादादी 27.2700 हैक्टर में उक्त प्रतिवादीगण 0.92 हैक्टर के लिए सह खातेदार अंकित है।
7. तहसीलदार राजस्व कोलायत प्रतिवादी संख्या 13 ग्राम डेह की इसी जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 13 भूमि धारक के रूप में दर्ज है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि एवं निर्णय में वर्णित वादी एवं प्रतिवादीगण मध्य खाता विभाजन कर खात पृथक–प्रथक से खाता कायम कर वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शें के अनुरूप खात विभाजन कर खाता अलग–अलग कायम करने के आदेश प्रदत्त किये जाते है। निर्णय के संलग्न वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा संलग्न किया जावें। तदानुसार पर्चा डिग्री जारी हो। निर्णय एवं नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व कोलायत को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

141-42
12.4.2021
निर्णय डिग्री की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत (बीकानेर)

Scanned with CamScanner